

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-134) अलेसे-1/

दिनांक:- 11-11-2013

कार्यालय आदेश नं. 306/2013-14

श्री शिवनारायण गुप्ता पुत्र श्री मदन लाल, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय-
कृषि उपज मण्डी समिति "अ-श्रेणी" (अनाज), कोटा का दिनांक 30.09.2013 को निधन
हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 30.09.2013 से राज्य सेवा में नहीं रहना माना जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व० श्री शिवनारायण गुप्ता, सहायक
लेखाधिकारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम-
1958 के तहत कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।

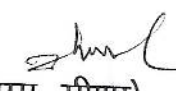

निदेशक
कोष एवं लेखा
राजस्थान सरकार, जयपुर


(कै.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (क-1)
कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एस-134) अलेसे-1/ 6905-6908 दिनांक:- 11-11-2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति "अ-श्रेणी" (अनाज), कोटा।
2. कोषाधिकारी कोटा।
3. श्रीमती इन्दिरा गुप्ता पत्नी स्वर्गीय श्री शिवनारायण गुप्ता,, सहायक लेखाधिकारी
द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति "अ-श्रेणी" (अनाज), कोटा।
4. निजी सहायक निदेशक महोदय।
5. निजी पत्रावली/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाइल।


(कै.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)